निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(46)लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2012-13/1160 दिनांक 28/8/12

परिपत्र

विषय :- आय, जाति, मूल निवास एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में सरलीकरण बाबत ।

राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों को मध्यम नजर रखते हुए दिनांक 25-7-12 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में लिये गये निर्णयों अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने का संशोधन एवं सरलीकरण निम्न प्रकार किया गया है :-

1- **SC/ST जाति प्रमाण -- पत्र :-**

जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट /उप खण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट /राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो द्वारा जारी किया जावेगा ।

2- **OBC/SBC जाति प्रमाण पत्र :-**

संभागीय आयुक्त /अति0 संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अति0 जिला कलेक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर) उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार /नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो । क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा । ओबीसी सम्बन्धि प्रमाण पत्र क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धि तथ्य को तीन वर्ष के लिए प्रार्थी के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जावेगी ।

3- **मूल निवास प्रमाण पत्र :-**

जिला मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार द्वारा जारी किया जावेगा ।

4- **आय प्रमाण पत्र :-**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मय दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा देय साक्ष्य (M.P./M.L.A./ जिला प्रमुख/ प्रधान / जिला प0 सदस्य/सरपंच/ वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/ न0 पा0 अध्यक्ष/न0 पा0 सदस्य / राजकीय अधिकारी /कर्मचारी) के आधार पर यह शपथपत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ नोटेरी से प्रमाणित होगा । आय प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा ।

बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बीपीएल कार्ड को ही आय के लिए मान्य समझा जायेगा इनसे पृथक से आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

5- **जन्म और मृत्यु पंजीकरण (विलम्बित) हेतु :-**

(अ) वर्तमान में 30 दिवस से 1 वर्ष तक के विलम्बन :-

(1) शहरी क्षेत्र :- नगरीय आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

(2) ग्रामीण क्षेत्र- जिला सांख्यिकी अधिकारी / विकास अधिकारी

(ब) वर्तमान में एक वर्ष से अधिक विलम्बन के लिये समस्त जिला क्षेत्र हेतु :-

कार्यपालक मजिस्ट्रेट (उप खण्ड मजिस्ट्रेट/ सहायक कलेक्टर/ तहसीलदार)

उक्त प्रमाण पत्र दर्शाये गये अनुरूप, जारी कर्ता अधिकारियों के स्वीकृति योग्य होंगे उपरोक्तानुसार ही आगामी वर्ष 2012-13 में आमंत्रित छात्रवृति आवेदन पत्रों में संलग्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए ।

(सुधीर कुमार)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
कॉलेज शिक्षा विभाग राज0
जयपुर

क्रमांक एफ 23(46)लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2012-13/1161-1168 दिनांक 28/8/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजि सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा शासन सचिवालय, राज0 जयपुर
2- निजि सचिव प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर
3- निजि सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर
4- संयुक्त निदेशक अकादमी कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर
5- सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा क्षेत्रिय कार्यालय अजमेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/ उदयपुर
6- समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान, विद्यापीठ वनस्थली निवाई टोंक
7- समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय /निजि महाविद्यालय राजस्थान
8- वेब साईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु

संयुक्त निदेशक(छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज0
जयपुर